भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2533
दिनांक 05 अगस्त, 2025 /14 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

ई-वीज़ा प्रणाली

†2533. श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और अधिक देशो के लिए इसके प्रसार को बढ़ाने और कार्रवाई में लगने वाले समय को कम करने हेतु ई-वीज़ा प्रणाली में सुधारो पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार के पास भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट पर्यटक समूहों के लिए वीज़ा शुल्क में छूट या विशेष वीज़ा श्रेणियों की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क एवं ख) भारत में विदेशी पर्यटकों, पेशेवरों और कुशल कार्यबल, व्यापारियों, छात्रों आदि सहित विदेशियों की वैध आंतरिक आवाजाही को सक्षम करने के लिए एक मजबूत वीजा व्यवस्था मौजूद है। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में वैध विदेशी यात्रियों की सुविधा के लिए वीजा व्यवस्था को उदार, सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए कई पहल की हैं, साथ ही आंतरिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचे को भी बढ़ाया है।

ई-वीज़ा सुविधा की शुरुआत, भारतीय वीज़ा व्यवस्था, विशेष रूप से पर्यटक वीज़ा व्यवस्था, को उदार और सरल बनाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ईटीए) के साथ यह सुविधा, जिसे नवंबर 2014 में 43 देशों के नागरिकों के लिए शुरू किया गया था, वर्तमान में 32 नामित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और 6 प्रमुख बंदरगाहों के माध्यम से 172 देशों के नागरिकों के लिए प्रवेश हेतु उपलब्ध है। ई-वीज़ा वर्तमान में 13 उप-श्रेणियों के अंतर्गत उपलब्ध है, अर्थात् ई-पर्यटक वीज़ा, ई-व्यावसायिक वीज़ा, ई-चिकित्सा वीज़ा, ई-चिकित्सा परिचारक वीज़ा, ई-सम्मेलन वीज़ा, ई-आयुष वीज़ा, ई-आयुष परिचारक वीज़ा, ई-छात्र वीज़ा, ई-छात्र X वीज़ा, ई-पारगमन वीज़ा, ई-पर्वतारोहण वीज़ा, ई-फ़िल्म वीज़ा और ई-प्रवेश (X-1) वीज़ा।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न. संख्या 2533, दिनांक 05.08.2025

ई-वीज़ा की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है। कोई भी विदेशी कहीं से भी ई-वीज़ा के लिए आवेदन कर सकता है। ई-वीज़ा की शुरुआत से पर्यटन, व्यापार और चिकित्सा जैसे वैध उद्देश्यों के लिए विदेशियों को भारत में बिना किसी परेशानी के प्रवेश करने में मदद मिली है।

2019 में 25 अमेरिकी डॉलर के वीज़ा शुल्क के साथ 30 दिनों का दोहरे प्रवेश के साथ, ई-टूरिस्ट वीज़ा लॉन्च किया गया था। ऑफ-सीज़न (अप्रैल-जून) पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए, इस कम व्यस्त अवधि के दौरान 25 अमेरिकी डॉलर के वीज़ा शुल्क को घटाकर 10 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया था।

ई-वीजा व्यवस्था का उदारीकरण और सरलीकरण, जिसमें किसी विशिष्ट पर्यटक समूह के लिए वीजा शुल्क में छूट या विशेष वीजा श्रेणियां शामिल हैं, एक सतत प्रक्रिया है जो सुरक्षा, आवक पर्यटन और निवेश, द्विपक्षीय संबंधों, पारस्परिकता के आधार पर आदि मुद्दों को ध्यान में रखकर की जाती है।

***